न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) शिवगंज जिला सिरोही

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, आर०ए०एस०

प्रार्थीगण
1.मुकेशकुमार पुत्र बाबूलालजी जाति सरगरा निवासी भेव तहसील शिवगंज
2.शांतिबेन पत्नी चुन्नीलाल जाति सरगरा निवासी पालडीएम तह० शिवगंज

बनाम

अप्रार्थीगण
1.भेराराम पुत्र जोराजी जाति भील निवासी भेव
2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री मोहब्बतसिंह देवडा

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

रा०प्रा० पत्र स० 38/2025
दिनांक 26.08.2025

–::आदेश::–

उपरोक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की शामलाती राजस्व भूमि गांव भेव पटवार हल्का बागसीन तहसील शिवगंज के खसरा नं0 302/2 रकबा 1.3597 हैक्टयर आई हुई है। प्रार्थीगण उपरोक्त राजस्व भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु जाने के लिये खसरा नं0 308 रकबा 0.8984 हैक्टयर में स्थित रास्ता से होकर अर्थात अप्रार्थी सं0 1 भेराराम के खेत से लगते हुए उक्त रास्ते से होकर भेराराम के खेत के किनारे पर स्थित रास्ते का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण उपरोक्त खसरा नं0 308 में स्थित रास्ते से होकर अप्रार्थी सं0 1 भेराराम के खेत खसरा नं0 316 की खसरा नं0 304 किस्म नाला के पास स्थित माठ के किनारे किनारे होकर खेत के पूर्व रसाधिकारीयों के समय से ही नियमित तौर से अपनी कृषि भूमि के खसरा नं0 302/2 में कृषि कार्य व पशुओं को चराने हेतु आने जाने के उपयोग में ले रहे थे। अप्रार्थी सं0 1 भेराराम ने जानबूझ कर प्रार्थीगण के खेत में कृषि कार्य हेतु आने जाने से रोकने व रोडे अटकाने हेतु पूर्व से ही अप्रार्थी सं0 एक के खेत के पास स्थित नाला खसरा नं0 304 से सटा हुआ प्रार्थीगण के खेत तक स्थित एक मात्र रास्ते को अवरोधक व कांटों की बाड लगाकर बंद कर दिया है, जिससे प्रार्थीगण का अपने खेत में जाकर कृषि कार्य करना असंभव हो गया है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता लधुत्तम दूरी पर है व अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते हेतु राशि अदा करने को तैयार है। अतः श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर खसरा नं0 316 के किनारे किनारे 15 फीट चौडा रास्ता दिया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित करना फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 13.05.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये जिस पर दिनांक 17.06.2025 को अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना हेतु सहमति प्रदान की गई। तहसीलदार शिवगंज को मौका जॉच रिपोर्ट हेतु पत्र कमाक 281 दिनाक 13.05.2025 को जारी कर मौका जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिस पर तहसीलदार शिवगंज के पत्र कमांक 533 दिनांक 01.08.2025 के द्वारा रास्ते का प्रस्ताव पेश किया। तहसीलदार शिवगंज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है व उपरोक्त खातेदारी में प्रवेश का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी में आने जाने हेतु ग्राम भेव के खसरा नं0 316 रकबा 4.5568 हैक्टयर भूमि में से प्रस्तावित किया गया है जिसके खातेदार भेराराम पुत्र जोराराम जाति भील निवासी भेव है। प्रस्तावित रास्ता 139 मीटर लम्बा तथा 4.57 मीटर चौडा है जिसका कुल क्षैत्रफल 653.23 वर्गमीटर बनता है जो निकटवर्ती सरकारी रास्ता जिसके खसरा नं0 308 से जुडता है तथा लधुत्तम दूरी पर है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर 3,12,000/– रूपये प्रति हेक्टयर है जिसके अनुसार उक्त भूमि की कीमत 19819/–रूपये बनती है जिसकी दुगुनी कीमत 39638/–रूपये बनती है। दिनांक 12.08.2025 को प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर तहसीलदार शिवगंज द्वारा भिजवाये गये रास्ते के प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की गई।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी भूमि में पंहुच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता लधुत्तम दूरी पर स्थित है, रास्ते की अत्यंत आवश्यकता सिद्ध की है, जिससे प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायसंगत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:12:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

.... शेष पेज संख्या दो पर

प्रकरण सं0 38 / 2025
मुकेशकुमार व अन्य बनाम भेराराम व अन्य
अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट

कसं0	खातेदार का नाम	खसरा नं0	खसरे में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल	डीएलसी दर	डीएलसी दर के अनुसार कीमत रूपये	प्रार्थीगणों द्वारा जमा कराने योग्य दुगुनी राशि
1	भेराराम पुत्र जोराजी जाति भील निवासी भेव	316	139X4.57 =635.23 वर्गमीटर	3,12,000 रू0 प्रति0 हैक्टयर	19819	39638 / –रूपये अक्षरे उनचालीस हजार छः सौ अडतीस रूपये मात्र।

अतः तहसीलदार शिवगंज को आदेशित किया जाता है कि संलग्न नजरी नक्शा **एनेक्चर–1** के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा भेव तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 302 / 2 रकबा 1.3597 हैक्टयर भूमि में आने जाने हेतु मौजा भेव के उपर सारणी के अनुसार भूमि में से पंहुचने हेतु अप्रार्थी सं0 1 भेराराम पुत्र जोराजी जाति भील निवासी भेव की खातेदारी भूमि के मौजा भेव के खसरा नं0 316 रकबा 4.5568 हैक्टयर में से 4.57 मीटर चौडा एवं 139 मीटर लम्बाई की डीएलसी दर 3,12,000 / –रूपये प्रति हेक्टयर होने से राशि 19819 / –रूपये होती है जिसकी **दुगनी राशि 39638 / –(उनचालीस हजार छः सौ अडतीस) रूपये** का भुगतान प्रार्थीगणों द्वारा संबंधित अप्रार्थी सं0 एक को जमा कराने या खातेदार द्वारा राशि नहीं लेने पर उक्त राशि तहसील के राजकोष में जमा कराने के पश्चात ही उनकी खातेदारी भूमि में से कम की जाकर रास्ता भूमि को राजस्व रेकर्ड में **किस्म गैर मुमकीन रास्ता सरकारी बिलानाम** खाते में दर्ज की जावे। प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शा **एनेक्चर–1** को आदेश का अभिन्न अंग माना जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ शिवगंज (राजस्थान) ★

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर,
शिवगंज

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक / कोर्ट / 2025 / 597
दिनांक 26.08.2025

प्रतिलिपिः–
तहसीलदार शिवगंज को एक माह में पालना कर रिपोर्ट आवश्यक रूप से भिजवाने हेतु प्रेषित है।

सहायक कलक्टर,
शिवगंज

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:12:51 IST
Reason: SelfAttested